



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2692]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

No. 2692]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3390(अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3289 (अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 29 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के पृष्ठ संख्या 14 (अंग्रेजी भाषा) में और पष्ठ संख्या 04 (हिन्दी भाषा) में कॉलम संख्या 4 में, "पादरी(गो)" गाँव के स्थान पर "पादरी(भ)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. भाराराप्रा/11011/गुजरात/राजकोट/भूअ./एफ.टी.एस-132]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना का.आ. 3289 (अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2014, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, तारीख 29 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2015

S.O. 3390(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry Road Transport and Highways, number S.O. 3289 (E) dated 29th December, 2014, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 29th December, 2014, namely:—

In the schedule (English & Hindi version) of the aforesaid notification at page no. 14 of English and page No. 4 of Hindi version under column no. 4, for Name of the village “Padri (Go)” “Padri (Bh)” shall be substituted.

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/FTS-132]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note:—The Principal notification was published vide S.O. 3289 (E) dated 29th December, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 29th December, 2014.